सिविल सर्विसेज ऑफिसर को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, धुर्वा, रांची

दिनांक–26.08.2023 को सिविल सर्विसेस ऑफिर्सस को0 आपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी की वार्षिक आम सभा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 26.08.2023 को सिविल सर्विसेस ऑफिर्सस को0 आपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी की आम सभा की बैठक श्री बी0बी0 प्रधान, भा0पु0से0 की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री बी0बी0 प्रधान, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 79
2. श्री राजीव कुमार, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 27
3. श्री अशोक कुमार, भा0व0से0	–	स0सं0 – 56
4. श्री आर0के0 मल्लिक, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 190
5. श्री आर0 एल0 बक्शी, भा0व0से0	–	स0सं0 – 276
6. श्री ओ0पी0 खरे, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 253
7. श्री अविनाश कुमार, भा0प्र0से0	–	स0सं0 –309
8. श्री जटा शंकर चौधरी, भा0प्र0से0	–	स0सं0 – 311
9. श्री मुरारी लाल मीणा, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 124
10. श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी, भा0व0से0	–	स0सं0 – 179
11. श्री डी0के0 सक्सेना, भा0व0से0	–	स0सं0 – 228
12. श्री सतीश कुमार, भा0रे0से0ई0	–	स0सं0 –310
13. श्री कमलेश पाण्डेय, भा0व0से0	–	स0सं0 – 298
14. श्री अशोक कुमार सिंह, भा0व0से0	–	स0सं0 – 300
15. श्री ए0पी0 सिंह, भा0प्र0से0	–	स0सं0 – 168
16. श्री नरेन्द्र मिश्रा, भा0व0से0	–	स0सं0 – 75
17. श्री राज कुमार, भा0प्र0से0	–	स0सं0 – 308
18. श्री हंस राज सिंह, भा0प्र0से0	–	स0सं0 – 305
19. श्री रेजी डुगडूग, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 125
20. श्री आर0 के0 कटारिया, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 09
21. श्री शशिकर सांमता, भा0व0से0	–	स0सं0 – 44
22. श्री आर0 पी0 सिंह, भा0व0से0	–	स0सं0 – 268
23. श्री मनोज कैशीक, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 283
24. श्रीमती मंजरी जरूहार, भा0पु0से0	–	स0सं0 – 146
25. श्री एस0ई0एच0 काजमी, भा0व0से0	–	स0सं0 – 172

सर्वप्रथम सभा को सम्बोधित करते हुए श्री बी0बी0 प्रधान, अध्यक्ष ने खेद व्यक्त किया की अपरिहार्य कारणों से ऑनलाईन बैठक की व्यवस्था (जिसका उल्लेख गत् EC दिनांक 25.07.2023 प्रस्ताव संख्या–12, कंडिका–3 के निर्णय में अंकित) नहीं कि जा सकी। सभा का

TREASURER
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

SECRETARY
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Vice President
CSO CO-OP HSG Society Ltd.

President
CSO CO-OP HSG Society Ltd.

क़ोरम 11:30 बजे पूर्ण नहीं होने के कारण सभा की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दिया गया । आधे घण्टे बाद पुनः आम सभा की कार्यवाही आरम्भ की गई। सर्वप्रथम श्री प्रधान के द्वारा आमसभा को यह सूचना दी गई की दिनांक 25/08/2023 को श्री नरेन्द्र मिश्र, सदस्य संख्या–75, के द्वारा WhatsApp Group में सोसाइटी एवं निदेशक मण्डल को लेकर आपत्ति जनक टिप्पणी (श्री मिश्रा सामान्यतः नियमित रूप से आपत्तिजनक भाषा तथा टिप्पणी EC तथा अन्य सदस्यों पर करते रहने की सूचनाएँ हैं) की गई। यह वर्त्तमान टिप्पणी GBM सदस्यों को धमकाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य था कि GB की बैठक में व्यवधान डाला जाय तथा इसे सम्पन्न न होने दिया जाय। आम सभा में निदेशक मण्डल के प्रस्तावों को समर्थन करने वाले सदस्यों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की धमकी दी गई। अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि सोसाइटी के WhatsApp Group से श्री नरेन्द्र मिश्र, सदस्य संख्या–75, को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए ताकि GB के सदस्यों को इस तरह की धमकी (threat) से सुरक्षित रखा जाय तथा स्व–विवेक से समिति में सहयोग सभी सदस्य कर सके। इस प्रस्ताव पर उन्होनें सभी को मत प्रकट करने के लिए कहा, उपस्थित सदस्यों में से श्री नरेन्द्र मिश्र, सदस्य संख्या–75, ने विरोध किया एवं पुरानी बातों को पुनः दोहराया। इस क्रम में श्री मिश्र–75 को छोड़ कर सभी उपस्थित सदस्यों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस तरह यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके बाद श्री नरेन्द्र मिश्र, सदस्य संख्या–75, के द्वारा बैठक पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए सभा मे व्यवधान डालने की कोशिश करते हुए लेखपाल श्री एस०डी० प्रधान से उपस्थिति पंजी लेकर अपना नाम काटने का भी प्रयास किया गया। इसका उपस्थित सदस्यों ने विरोध किया जिसपर श्री मिश्र यह कहते हुए बैठक का बहिष्कार किया कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए तथा उनकी राशि वापस की जाए।

प्रस्ताव संख्या–1 श्री सुधीर त्रिपाठी, भा०प्र०से०, द्वारा सुझाये गये योजना के उपर विस्तृत चर्चा एवं निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जायगा।

निर्णय :– अध्यक्ष के द्वारा यह सूचना दी गई की यह कार्य पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। इसे शीघ्रता से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या–2 सोसाईटी की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

Sl. No.	Account No. (FD)	Principal Amt.	Maturity dated	Matured value	Interest
1.	31423514744	5759884	11.07.2023	6136560	376676

SECRETARY CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD Vice President CSO CO-OP HSG Society Ltd President CSO CO-OP HSG Society Ltd

2.	30776176298	6998868	08.05.2023	7477976	479108
3.	3691873027	9412244	15.05.2023	9660937	248693
4.	31423542397	4460757	10.11.2023	4739151	278394
5.	36314410602 (Ph-II)	2137069	15.08.2023	2286688	149619
		28768822		30301312	1532490

उपरोक्त के अतिरिक्त बचत खाता में निम्न राशि जमा है :–

1. SBI, Hatia (Ph-I)- Rs. 7297829.50/-
2. SBi, Hatia (Ph-II)- Rs418280.50/-
3. Ranchi Khunti Co-Oparative Bank- Rs. 72584/-

इस संबंध में सभी सदस्यों को अवगत करा दिया गया है।

खर्चे का ब्यौरा

बकाया देनदारी–संवेदक M/s Equus Estates द्वारा अतिरिक्त कार्य के लिए रू0 6246938/– का बिल भुगतान हेतु प्रेषित किया गया।

वेतन/POL/Conveyance	- 376520+10000
Computer	-7434/-
संवेदक को भुगतान	–90,00000/–
अंकेक्षण –	11800+5000
Deed Preparation	-580468/-
Electric Fancing	– 652982 (Advance)

आय–

सदस्यों द्वारा जमा	–944731/–रू0
Penal Interest	–940524/–रू0
बचत खाते में बैंक से ब्याज	–270288/–रू0
FD, ब्याज	–1043971/–रू0

निर्णय :– उक्त सूचना को ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव संख्या–3 विकास राशि का बकाया दिनांक–31.12.2022 तक 18 सदस्यों पर 2803000/– बकाया है।

निर्णय :– उक्त के कम में पूर्व में इस बिन्दु पर निर्णय लिया जा चुका है जिसका अनुपालन किया जाय। ऐसे सदस्य जो पूर्व में राशि का भुगतान करते रहे तथा मात्र कतिपय राशि किसी कारण से अवशेष है, वैसे सदस्यो की अधिकतम एक माह में इसे प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाय।

TREASURER CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.   SECRETARY CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.   Vice President CSO CO-OP HSG Society Ltd   President CSO CO-OP HSG Society Ltd

इसकी सूचना दी जा रही है।

प्रस्ताव संख्या–4 अंकेक्षण– वितीय वर्ष 2020–21/2021–22 का अंकेक्षण किया गया था परन्तु कोरोना के कारण आम सभा की बैठक नहीं की सकी थी। अतः अंकेक्षण वितीय वर्ष 2020–21/2021–22 का रिपोर्ट आम सभा में प्रेषित किया जाता है। अनुमोदन अपेक्षित है।

निर्णय :– वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का अंकेक्षण प्रतिवेदन आमसभा के सदस्यों को दी गई। आमसभा ने सर्वसम्मति से तीनों वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदन को अनुमोदित किया। सभी अनुपालनीय बिन्दु का अनुपालन शीघ्र किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–5 बकाया–संवेदक द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य का बकाया 6246938/–रू0 का भुगतान किया जाना है। उनके द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है। तदोपरान्त भुगतान की कार्रवाई की जानी है।

निर्णय :– आमसभा के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अबतक संवेदक .द्वारा किये गये कार्यो के निरीक्षण हेतु बी.आई.टी मेसरा की तकनीकी टीम को आमंत्रीत किया जाए। तकनीकी टीम के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर बकाया राशि का भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा। अन्तिम भुगतान के पूर्व विभिन्न मदों का TDS कटौती कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा कर विहित प्रपत्र में सूचना संवेदक को दी जायेगी।

प्रस्ताव संख्या–6 सदस्यों द्वारा भूमि अदला–बदली–निम्नलिखित सदस्यों ने उन्हें प्लॉटों को द्वितीय चरण के सदस्यों के साथ अदला–बदली कर दिया गया है।

निर्णय :– (i) श्री आर0आर0 प्रसाद, भा0पु0से0–(2) प्लॉट संख्या–178 द्वारा श्री मुकेश कुमार, भा0प्र0से (160) को हस्तान्तरित किया गया।

–श्री बैदयी शरण मिश्रा, भा0प्र0से0 (68) प्लॉट संख्या–(177) द्वारा श्रीमती सूची सिंह, IRTS 161 हस्तान्तरित किया गया।

उपरोक्त अदला–बदली सोसाईटी के उपविधि कंडिका 13 (2) के अनुरूप है तथा पुराने सदस्यों के खिलाफ कोई बकाया नहीं है। अदला–बदली स्वीकृत कर उपरोक्त

TREASURER
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

SECRETARY
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Vice President
CSO CO-OP HSG Society Ltd.

President
CSO CO-OP HSG Society Ltd.

सदस्यों को प्रथम चरण में शामिल किया जाना तथा उनको नए सदस्या संख्या क्रमशः 313 एवं 314 आवंटित किया जाना है।

(ii) उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान श्री सतीश कुमार (I.R.E.S.), सदस्य संख्या–310, के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि जो जमीन उनके द्वारा क्रय किया गया उसका निबंधन अतिशिघ्र कराया जाए। अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी की दो महीने के अंदर प्लॉट का फिर से आवंटन की जो प्रक्रिया है उसे पुरा करने का प्रयास किया जाएगा एवं उसके पश्चात ही सभी के प्लॉटों का निबंधन करा लिया जाएगा। इसपर आमसभा ने सहमति दी।

प्रस्ताव संख्या–7 आम सभा –आगामी आमसभा दिनांक 19.08.2023 को निर्धारित किया गया था परन्तु अपरिहार्य कारणों से तिथि परिर्वतन किया गया। अब आम सभा की बैठक 26.08.2023 दिन शनिवार को होगी।

निर्णय :– उक्त पर सहमति व्यक्त की गई तथा आज बैठक सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव संख्या–8 चुनाव–कार्यकारिणी समिति का चुनाव दिनांक–27.09.2013 को सम्पन्न .हुआ था। पूर्व में निदेशक मंडल कार्यावधि तीन वर्ष की थी । उपविधि कंडिका 36 के अनुसार झारखण्ड सरकार अधिसूचना दिनांक–23.11.2015 द्वारा अग्रसारित केन्द्र सरकार की बिल 2014 के कंडिका 1 (3) के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य की कार्य अवधि कंडिका 9 के अनुसार तीन साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया। अतः उक्त समिति की कार्य अवधि दिनांक–27.09.2018 तक बढ़ गयी। दिनांक–24.09.2016 को पुनः चुनाव किया गया। जिसकी अवधि 27.09.2018 मानकर दिनांक 24.09.2023 को समाप्त होती है। पूर्व में किये गये चूनाव का ब्यौरा निम्नप्रकार से है जिसमें स्पष्ट दिखता है कि कोई भी सदस्य को दो बार से अधिक चयन नहीं किया गया है।

निर्णय :– अध्यक्ष के द्वारा आमसभा को यह सूचित किया गया कि अबतक आमसभा की जो भी बैठके हुई है उसमें निदेशक मण्डली के प्रति पूरी आस्था व्यक्त की गई है एवं पूर्व के सभी निर्णयों पर मंत्तव्य प्राप्त हुआ है। आमसभा ने पूर्ण बहुमत के साथ हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन किया।

TREASURER
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

SECRETARY
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY

Vice President
CSO CO-OP HSG Society Ltd

President
CSO CO-OP HSG Society Ltd

Details of election

Sl. N.	27-09-2013 (52)	24-09-2016 (76)	05-12-2020 (7+19)
1.	Shri Viod Aggarwal	Shri D. K. Pandey	Shri B. B. Pradhan
2.	Shri B. B. Pradhan	Shri B. B. Pradhan	Shri A.K. Rastogi
3.	Shri A.K. Rastogi	Shri A.K. Rastogi	Shri R.K. Mallick
4.	Shri R.L. Bakshi	Shri R.L. Bakshi	Shri R.L. Bakshi
5.	Shri M.L. Meena	Shri Avinash Kumar	Shri A. P. singh
6.	Smt. Alka Tiwari	Smt. Aradhana Patnayak	Smt. Aradhana Patnayak
7.	Shri R. C. Ram	Shri A.P. Singh	Shri R.L. Bakshi
8.	Shri Avinash Kumar	Shri R.K. Mallick	Shri R.C. Ram
9.	Shri R.B. Singh	Shri R.C. Ram	Shri Kamlesh Pandey
10.	Shri R. P. Singh	Shri Ganesh Kumar	----
11.	----	Shri R. P. Singh	----

इससे स्पष्ट होता है कि संशोधन के अनुसार कोई भी सदस्य दो बार से अधिक चयनित नहीं हुआ है।

प्रस्ताव संख्या–9 पानी, बिजली, आन्तरिक सड़क एवं ड्रेनेज निर्माण हेतु विस्तृत चर्चा की जानी है एवं खर्चों का आकंलन किया जाना है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर निर्णय भू आवंटन प्रक्रिया का पुर्ननिर्धारण के बाद ही किया जाना श्रेयस्कर होगा।

प्रस्ताव संख्या–10 सदस्य संख्या 75, श्री नरेंद्र मिश्र, भा०व०से०(सेवानिवृत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निर्णय लिया जाता है।

निर्णय :– उक्त विषय पर अध्यक्ष के द्वारा निम्नलिखित विस्तृत जानकारी दी गई :–

The EC in its meeting held on 25th July, 2023 deliberated over the recent conduct of Shri Narendra Mishra and found that his conduct in a) directly communicating with State Bank of India against the EC and b) his continuous tirade against the

TREASURER CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. SECRETARY CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. Vice President CSO CO-OP HSG Society Ltd President CSO CO-OP HSG Society Ltd

members of the EC and other members (often using foul language) was prejudicial to the working of the EC and the CSOHSL and became a fit case under rule 14(d) of the bylaws of the society.

It would be instructive to briefly outline the services to which members of the society are entitled, the rights which they enjoy and the provisions regarding termination of their membership from the society. It would also be instructive to note the powers and responsibilities of the Executive Committee.

The services to be provided to members are outlined in rule 7 of the bylaws of the society. The main services are a) to provide land at appropriate rate for building house b) to arrange for loans towards building of house c) providing all necessary amenities, etc. The rights of the members are outlined in rule 15 of the bylaws. These basically deal with the voting right, right to dividend if any, right to see the minutes of the meetings of EC and the GBMs on working days at the office of the society. Rule 14 of the bylaws lay down the process of termination of membership. Rule 14 (d) lays down that the EC may initiate suspension or termination process for a member if it feels that " kisi ke sadasya bane rehne se samiti maali sakh kamjor ho jaygi athwa samiti ke naam par dhabba lagega", meaning thereby that the above process may be started if the conduct of any member leads to lowering of the viability of the society and defaming the society.

Subsequent to the above decision, a show cause was issued to Shri Narendra Mishra vide letter dated 12/08/23. This letter factually outlined that ShriNarendra Mishra had prior to 08/01/23 never attended any meetingof the GBM since formation of the society. The GBM on 8th January, 2023 decided that previous allotment of plots will be cancelled, uninhabitable plots will be made habitable and then fresh allotment of plots will be done. For his purpose a committee under Shri Sudhir Tripathy was formed authorizing them to help in executing the decision of the GBM. This decision became ipso facto binding on all members. But Shri Narendra Mishra launched a vicious campaign against the Society and the EC after that. All his Whatsapp messages are available in print for members to peruse. The option open to a member is to raise any issue pertaining to his plot with the EC and/or to raise matters of common interest before the next GBM. Shri Narendra Mishra chose not to adhere to this regular channel of redressal of grievance whatsoever.

TREASURER
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

SECRETARY
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Vice President
CSO CO-OP HSG Society Ltd.

President
CSO CO-OP HSG Society Ltd.

Shri Narendra Mishra communicated with The Branch manager, State Bank of India, Hatia on 9th February, 2023 requesting it to stop withdrawal from the account of the society and claimed that the office bearers of the society were functioning illegally and continuing to function illegally. Shri Mishra had not raised any such issue before the GBM held on 08/01/23. The EC continued to enjoy the full confidence of the society as never in the past any proposal had been bought before GBM to show any lack of confidence in the EC. Shri Narendra Mishra went way beyond his rights to inflict irrevocable damage to the name of the society and to prevent the EC from discharging its duty.

Shri S S Badhawan, a member of the Society, sent an email communication to the President of the society detailing the highly uncivilized language bordering on "caste" slander used by Shri Narendra Mishra against him. The language used by Shri Narendra Mishra was found to be highly uncivilized and offensive which in normal circumstances would hurt the sentiments of a fellow member of the Society. Shri Mishra was asked to explain this also.

Shri Narendra Mishra responded by naming Shri R K Mallick as "avaidh", that is illegal Director of the society. This in itself is evident of the contempt with which he holds the Executive Committee. The first five paragraphs of his reply are devoted to holding the Executive Committee as illegal which were irrelevant with respect to the charges leveled against him.

Further in his reply he has elaborated on the messages he exchanged with Shri Badhawan. A mere reading of the message indicates that as Shri Badhawan referred to him as "Mishra Jee", which perhaps offended Shri Mishra and therefore he used the offensive sentence to show him (Shri Badhawan) his place.

In his explanation regarding why he wrote to the Bank he has opined that he had information that 1.5 crore rupees of the society has been misappropriated or defalcated and therefore he wrote to the bank. His letter to the bank discloses no such material. It appears his above accusation is an afterthought. Before his above reply, he has not notified the Executive Committee about the grounds on which he has made such a serious accusation. He has not shown any proof of his accusation and has tried to slander the name of the society even further.

TREASURER
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD

SECRETARY
CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD

Vice President
CSO CO-OP HSG Society Ltd

President
CSO CO-OP HSG Society Ltd

He has not shown any remorse for his conduct in his reply to the Show Cause notice of the Society as to why his membership of the Civil Services Housing Society Limited, Jharkhand not be terminated. The Executive Committee finds the reply to the Show Cause by Shri Narendra Mishra unsatisfactory and the charges against him stand the scrutiny. It is therefore recommended that as per the provisions of rule 14(d) of the bylaws, the GBM should decide on Termination of the Membership of Shri Narendra Mishra, Membership Number 75.**

निर्णय :– अध्यक्ष के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा हाथ उठाकर श्री नरेन्द्र मिश्रा की सदस्यता समाप्त करने की सहमति दी गई।

अन्यान्य :–

अंत में आम सभा के सदस्यों के द्वारा श्री नरेन्द्र मिश्र, सदस्य संख्या–75 के व्यवहार का भर्त्सना किया जाने के प्रस्ताव किये जाने तथा आम सभा की उपस्थित पंजी में अपने हस्ताक्षर के पार्श्व में किया गया अप्रासंगिक तथा द्वेषपूर्ण टिप्पणी को expunge किया जाने का प्रस्ताव पारित किये जाने का अनुरोध किया गया। सर्वसम्मति से इस अनुरोध के अनुरूप प्रस्ताव आम सभा में पारित किया गया।

ततपश्चात धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त कर दी गई।

(आर० एल० बक्शी),	(अशोक कुमार),	(ए०पी०सिंह),	(बी०बी०प्रधान),
कोषाध्यक्ष	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
TREASURER CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.	SECRETARY CSO CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.	Vice President CSO CO-OP HSG Society Ltd.	President CSO CO-OP HSG Society Ltd.

24/08/2023